भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
दूसरा तल, उत्तर स्कंध, 2nd floor, North Wing
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone :25487245
ई-मेल e-mail: enforce@dcsem.gov.in

सं. निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/2026/2750
No. DCSEM/Enft/2026/2750

सितंबर September 22nd, 2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय: एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में।
Sub: Ban on single-use plastic bags – reg.

इस निदेशालय के दिनांक 06.07.2021, 22.06.2023, 29.09.2023, 16.01.2025 और 03.02.2026 के परिपत्र का संदर्भ लें, जिसमें अणुशक्तिनगर के सभी निवासियों/दुकानदारों/विक्रेताओं से एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने और इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया गया था।

Reference is invited to this Directorate's circular dated 06.07.2021, 22.06.2023 and 29.09.2023, 16.01.2025 and 03.02.2026 requesting all residents/shopkeepers/vendors in Anushaktinagar to refrain from the practice of using single-use plastic bags and to follow the restrictions imposed by the Government of Maharashtra in this regard.

2. देखा गया है कि अणुशक्तिनगर में दुकान के आबंटिती अभी भी कॉलोनी में प्लास्टिक बैग बांट रहे हैं। इस तरह के सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। इनमें कई तरह के ज़हरीले और हानिकारक केमिकल होते हैं जो न सिर्फ़ पर्यावरण पर असर डालते हैं, बल्कि हमारे शरीर की कार्य-प्रणाली पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। ठीक से फेंकने पर भी, इन्हें पूरी तरह खत्म होने या सड़ने में कई साल लग जाते हैं, जिससे लंबे समय तक बहुत सारा कचरा जमा होता रहता है। प्लास्टिक बैग नालियों और सीवर सिस्टम में पहुँच जाते हैं और आखिरकार उन्हें अवरोधित कर देते हैं।

It is observed that shop allottees in Anushaktinagar are still distributing plastic bags in the colony. Such single-use plastic is one of the greatest risks to the environment. They contain a variety of toxic and harmful chemicals that not only affect the environment but can also affect functioning of our body. Even when disposed of properly, they take many years to decompose and break down, generating large amounts of garbage over long periods of time. Plastic bags find their way to the drainage and sewer system and eventually block them.

3. ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल या वितरण न करें और टिकाऊ व कम्पोस्टेबल इको-फ्रेंडली बैग अपनाएं। सभी निवासियों से भी यह भी अनुरोध है कि वे कपड़े/कागज़ के थैलों जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें और दुकानदारों से प्लास्टिक बैग के लिए ज़िद न करें।

In view of the above, all shopkeepers/vendors are instructed to ensure that they refrain from using/distributing single-use plastic bags and shift to sustainable and compostable eco-friendly bags. All the residents are also requested to carry eco-friendly alternatives such as cloth/paper bags and not to insist for plastic bag from shopkeepers.

4. ऊपर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होने पर, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबंटन रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

In case of violation of above instructions, action will be initiated against defaulters under leave and licence agreement for cancellation of allotment.

5. इसे निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.

22.09.2026

(एस. एस. गोंडाणे S. S. Gondane)
निदेशक(पी&ए) Director(P&A)

अणुशक्तिनगर/मंडाला/ नगर क्षेत्रों में स्थित पऊवि कॉलोनियों के सभी निवासी All residents of DAE colonies at Anushaktinagar/Mandala/City Areas

सभी अणुशक्तिनगर मंडाला के दुकानदार
All Shop Allottees in Anushaktinagar/Mandala

} संबंधित टीटीएम के प्रभारी अभियंता के माध्यम से
Through: EIC of concerned TTMs

Copy to:1) मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर।
CSO, Anushaktinagar.
2) अध्यक्ष/सचिव (आरवा, मारवा, वसरवा)।
President/Secretary (ARWA, MRWA, WSRWA).
3) निसेसंप्रनि वेबसाईट।
DCSEM website.